

बिहार विधान सभा सचिवालय

अष्टादश बिहार विधान सभा के दौरान सदन की संपूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग एवं लाईव प्रसारण आदि से संबंधित निविदा आमंत्रण

NIT NO 01/2026

अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र से 31 मार्च, 2028 तक चलने वाले सत्र के दौरान सदन की संपूर्ण कार्यवाहियों की एच.डी./4K गुणवत्ता में रिकॉर्डिंग एवं लाईव प्रसारण सोनी एच.डी. P X W 180 V कैमरा या उससे उच्च कोटि के चार से छः कैमरा द्वारा करने तथा दूरदर्शन सहित विभिन्न प्राईवेट चैनलों एवं सोशल मीडिया पर लाईव प्रसारण, वेबसाइट एवं मोबाईल पर वेबकास्टिंग हेतु लिंक देने के साथ सभा सचिवालय के सभी टी. वी. पर एच.डी. गुणवत्ता पूर्ण अनवरत लाईव प्रसारण (केबल प्रसारण को बाधित किये बिना) करने एवं अन्य अनुषांगी कार्यों को पूरा करने के लिए इच्छुक एवं प्रतिष्ठित संस्थानों/फर्मों/फिल्म निर्माताओं से द्विलिफाफा प्रणाली के तहत अलग-अलग सीलबंद लिफाफा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा, जो एक अन्य सीलबंद लिफाफा में बंद हो, सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से दिनांक-30.06.2026 को 3:00 बजे अप. तक यथानिर्धारित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती हैं। निविदा तथा इसके लिए निर्धारित शर्तें एवं कार्य का विवरण बिहार विधान सभा के वेबसाइट www.vidhansabha.bihar.gov.in पर द्रष्टव्य है, जिसके अनुरूप निविदा प्रस्तुत करना आवश्यक है। सभी प्राप्त निविदायें दिनांक-03.07.2026 को 4:00 बजे अप. में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में खोली जायेंगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।

निर्धारित शर्तें एवं कार्य का विवरण :-

1. बिहार विधान सभा ऑडियो/वीडियो/ध्वनि रिकॉर्डिंग, अभिलेखन, संचयन, मिश्रण, विषय संपादन, पृष्ठभूमि, फ्रेम, टाईल्स आदि के द्वारा विषय-वस्तु के लाईव-प्रसारण तथा संचयण के लिए योग्य सेवा प्रदाताओं को दृढ़ प्रस्ताव के द्वारा अनुबन्ध के लिए आमन्त्रित करती है।
2. बिहार विधान सभा एक ऐसे सेवा प्रदाता को बहाल करना चाहती है जो आवश्यकता के अनुसार संपूर्ण व्यवस्था के साथ वेबीनार, सम्मेलन आदि के लाईव-प्रसारण, प्रासंगिक विषय का स्पष्ट प्रकाशन तथा अन्य सहायक सेवाएँ प्रदान कर सके।
3. संबंधित संस्थानों/प्रतिष्ठानों/फिल्म निर्माताओं को, जिनका विगत 03 वर्षों का टर्न ओवर समेकित रूप से कम से कम 1.20 करोड़ रुपये हो, को इससे संबंधित तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी तकनीकी निविदा (अनुलग्नक-दो से चार) के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तकनीकी निविदा के साथ फर्म का निबंधन, अद्यतन आयकर एवं सेवा कर का प्रमाण पत्र के साथ-साथ कार्यानुभव का प्रमाण संलग्न करना होगा। संबंधित संस्थानों/प्रतिष्ठानों/ फिल्म निर्माताओं को दूरदर्शन या किसी

प्राइवेट चैनल हेतु प्रोग्राम एवं सीरियल निर्माण का अनुभव आवश्यक है, जिससे संबंधित कागजात तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

4. किसी भी सरकारी विभाग/मंत्रालय/उपक्रम/संस्था/बड़े कॉर्पोरेट/लोक सभा/राज्य सभा/देश की किसी विधान सभा या विधान परिषद् का मल्टी कैमरा सेट-अप द्वारा ऑनलाईन रिकॉर्डिंग एवं लाईव प्रसारण का कम से कम पाँच साल का अनुभव रखने वाले संस्थानों/प्रतिष्ठानों/फिल्म निर्माताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। किन्तु, मल्टी कैमरा सेट-अप द्वारा ऑनलाईन रिकॉर्डिंग/लाईव प्रसारण/समान प्रकृति के कार्य का कम से कम दस साल का अनुभव अनिवार्य है। कार्यादेश की छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
5. सभी निविदादाताओं को तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन के रूप में अंके 1,00,000/- रु. (एक लाख रु.) का बैंक ड्राफ्ट जो सचिव, बिहार विधान सभा के नाम से देय तथा एस.बी.आई., बिहार विधानमंडल शाखा में भुगतये हो, संलग्न करना होगा, जिसे निविदा निष्पादित होने के बाद निविदादाताओं को वापस कर दिया जायेगा, किन्तु सफल निविदादाता को उतनी ही राशि का जमानत राशि (बैंक गारन्टी) जमा करने के उपरान्त बैंक ड्राफ्ट वापस किया जायेगा।
6. तकनीकी तथा वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद लिफाफा में रख कर प्रत्येक लिफाफा के उपर मोटे अक्षरों में 'तकनीकी निविदा' (अनुलग्नक-दो से चार) एवं 'वित्तीय निविदा' (अनुलग्नक-एक) अंकित कर इसे दूसरे बड़े लिफाफा में सीलबंद कर देना होगा। सभी लिफाफों में निविदादाता फर्म का नाम, पता, दूरभाष, मोबाईल एवं फैक्स संख्या अंकित होना चाहिए।
7. तकनीकी निविदा (अनुलग्नक-दो से चार) एवं वित्तीय निविदा (अनुलग्नक-एक) टंकित एवं इसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।
8. केवल तकनीकी रूप से योग्य घोषित किए गए बोलीकर्त्ताओं का ही वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी निविदा का मूल्यांकन दो/तीन सदस्यीय तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति करेगी।
9. तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति के पास अधिकार होगा कि वे मौखिक प्रश्नों एवं फर्म में उपलब्ध सेट-अप के आधार पर निविदादाता की तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन कर सके। तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष सभी बोली कर्त्ताओं को 5-10 मिनट का अपनी तकनीकी दक्षता एवं कार्यअनुभव को लेकर एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन देना होगा।

10. निविदादाता फर्म को भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा किसी लोक उपक्रम द्वारा विगत तीन वर्षों में ब्लैकलिस्टेड नहीं होने का स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. निविदादाता फर्म को इस बात का स्वअभिप्रमाणित प्रमाण देना होगा कि इनके टीम के किसी सदस्य के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी है।
12. अंतिम रूप से चयनित निविदादाता के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनके द्वारा निविदा के साथ जमा की गयी अग्रधन की राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
13. चयनित निविदादाता फर्म को इस कार्य के लिए किसी प्रकार के अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा। न्यूनतम वित्तीय बोलीकर्ता का चयन सफल बोलीकर्ता के रूप में किया जाएगा।
14. वित्तीय निविदा में अंकित दर सभी करों सहित प्रति दिन के दर का उल्लेख अनुलग्नक-एक के अनुरूप होना चाहिए।
15. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें खोली जायेंगी तथा उन्हें ही वित्तीय निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना दी जायेगी।
16. सफल निविदादाताओं से बेहतर कार्य, उच्च गुणवत्ता एवं दर में कमी तथा शूटेड कैसेट, मास्टर कैसेट, डी.वी.डी. एवं पेन ड्राईव आदि की शीघ्र आपूर्ति हेतु निगोशिएसन किया जा सकता है।
17. चयन किये गये संस्थान/प्रतिष्ठान/फिल्म निर्माता का कार्य संतोषप्रद रहने पर आगे कार्य विस्तार पर विचार किया जा सकता है।
18. संपूर्ण कार्यवाहियों की वीडियो रिकॉर्डिंग का कार्य संपादन हेतु प्रथमतः 4-6 उच्च गुणवत्ता वाला वीडियो कैमरा स्थापित करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त आकस्मिक अवस्था में निर्बाध गति से छायांकन प्रक्रिया को जारी रखने की व्यवस्था भी करनी होगी।
19. सभा सचिवालय के मुख्य भवन, उप भवन एवं नवनिर्मित विस्तारित भवन स्थित सभी टेलिविजन सेटों (लगभग 125-150 टी.वी. सेट) पर लाईव प्रसारण (केबल प्रसारण को बाधित किये बिना) तथा सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन तथा सचिव के आसन के सामने रखे सात इंच के स्क्रीन में भी संपूर्ण कार्यवाहियों के लाईव सिग्नल देकर प्रसारण की व्यवस्था करनी होगी प्रसारण में किसी भी आकस्मिक या तकनीकी विकास के कारण व्यवधान आने पर उसे दूर करने के निमित्त उपयोग में आने वाले उपकरण हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा तथा दूरदर्शन सहित लगभग बीस से पच्चीस चैनलों के ओ०भी० भैन को लाईव प्रसारण हेतु लिंक की

सुविधा देना होगा। साथ ही सभा सचिवालय के प्रांगण में पत्रकार हेतु निर्मित पंडाल में 20 (बीस) प्वाइंट, कैमरा में एच. डी. गुणवत्तापूर्ण रिकार्डिंग हेतु देना होगा एवं संस्थान के पास छः कैमरा इनपुट एच. डी स्वीचर होना आवश्यक है।

20. निविदादाता के पास स्टोरेज क्षमता (मशीन एवं क्लाउड) कम से कम 50 टी.बी. तक होना चाहिए।
21. सोशल मीडिया अथवा अन्य अनुषांगी कार्यों हेतु उपयुक्त साफ्टवेयर का लेटेस्ट लाईसेंस वर्जन होना चाहिए।
22. सदन की संपूर्ण कार्यवाही के प्रतिदिन यूट्यूब, फेसबुक लाईव एवं वेबकार्टिंग हेतु लिंक सुविधा उपलब्ध कराने के साथ निर्बाध प्रसारण में सहयोग करना होगा।
23. SMS, Whatsapp, e-mail . एवं सोशल मीडिया पर प्रचार के माध्यम से URL/लाईव स्ट्रीम लिंक प्रदान की जानी चाहिए जिसमें वीडियो-लाईव-ऑन डिमांड के लिए भी एक लिंक दी जानी चाहिए।
24. चयनित फर्म को प्रत्येक दिन के संपूर्ण कार्यवाही का विभिन्न कैमरों से तैयार वीडियो रिकॉर्डिंग का मिक्सिंग/एडिटिंग कर एक समेकित वीडियो कैसेट/डी.वी.डी. के साथ साथ पेन ड्राईव में भी तैयार कर उपलब्ध कराना होगा।
25. एजेंसी को पर्याप्त मात्रा में हार्ड डिस्क, USB ड्राईव इत्यादि का भंडारण करना होगा ताकि बिहार विधान सभा द्वारा मांग करने के लिए 24 घंटे के अंदर कोई भी वीडियो उपलब्ध कराया जा सके।
26. सदन की कार्यवाही का छायांकन एवं अभिलेखन का संपादित मास्टर कैसेट/डी.वी. डी. एवं पेन ड्राईव तैयार करने के क्रम में चयनित निविदादाता की यह जिम्मेवारी होगी कि वह सदन की कार्यवाही के दौरान बहस में हिस्सा ले रहे माननीय मंत्रियों या माननीय सदस्यों या फिर आसन पर विराजमान महानुभावों के नामों का ग्राफिक्स समय-समय पर छायांकन में प्रविष्ट करे, ताकि मूल मास्टर कैसेट्स, वीडियो मिक्सिंग के बाद तैयार मास्टर कैसेट्स और संपादित कैसेट्स/डी.वी.डी./ पेन ड्राईव में कार्यवाही में भाग लेने वाले व्यक्तियों की पहचान आसानी से हो सके।
27. प्रसारण हेतु तैयार फॉर्मेट, रिकार्डिंग, सीधा प्रसारण या अन्य चैनलों के माध्यम से प्रसारण में किसी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेवारी चयनित निविदादाता की होगी और यदि वह त्रुटि नजरअंदाज करने योग्य नहीं हो तो बिना पूर्व सूचना के किसी भी क्षण चयनित निविदादाता का एकरारनामा रद्द करते हुए अन्य संस्था / फर्म से सभा सचिवालय कार्य संपन्न करा सकता है।
28. सदन की कार्यवाही का रिकॉर्डिंग किये गये मास्टर कैसेट या उससे तैयार छायांकन के किसी फॉर्मेट को सभा सचिवालय के सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना

- चयनित निविदादाता बाहर नहीं ले जा सकेगा तथा उसे इसकी गोपनीयता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए उसकी किसी भी रूप में प्रतिलिपि किसी अन्य व्यक्ति / संस्था या इलेक्ट्रॉनिक चैनल या अन्य मीडिया को हस्तांतरित नहीं करने की जिम्मेवारी भी चयनित निविदादाता की होगी। इन शर्तों के उल्लंघन होने पर चयनित निविदादाता के एकरारनामा को रद्द करते हुए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सभा सचिवालय को होगा।
29. भिन्न-भिन्न कैमरों से की गयी वीडियो रिकॉर्डिंग का शूटेड कैसेट्स, डी.वी.डी. एवं वीडियो भिक्सिंग/एडिटिंग से तैयार सभी कैसेट्स, डी.वी.डी. एवं पेन ड्राईव वगैरह सभा सचिवालय की सम्पत्ति होगी और कार्य संपन्न होने के तुरंत बाद इसे सभा सचिवालय में जमा कर देना होगा।
 30. संस्था लाईव-प्रसारण के दौरान एक आकर्षक क्लिप रिकॉर्ड कर सके जैसे कि कोई अद्भुत प्रदर्शन, प्रेरक उपदेश/सलाह जो बार-बार देखने लायक हो या भले ही लोगों ने वह प्रसारण न देखा हो लेकिन एक छोटा हिस्सा देखने हेतु या उस क्षण को दुनिया के साथ साक्षात् करने हेतु इसे दर्शकों को अगले बिहार विधान सभा के कार्यक्रम को देखने में दिलचस्पी होगी।
 31. सभा सचिवालय चयनित फर्म को स्थान उपलब्ध करायेगी। तकनीकी उपकरण और उपयोग में लाये जाने वाले अपने सामानों की व्यवस्था एवं इसे सभा सचिवालय लाने एवं ले जाने की व्यवस्था चयनित फर्म को स्वयं करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।
 32. बोलीकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले जनशक्ति को कार्य संपन्न होने तक बार-बार नहीं बदला जाएगा।
 33. कार्य संपन्न होने में देरी होने पर सेवा प्रदाता पर जुर्माना लगाया जाएगा।
 34. सफल संचालन के लिए संस्था को सामने आने वाली अधिकांश समस्याओं के लिए FAQ और संपर्क विवरण, ई-मेल, Whatsapp नंबर या संभवित समस्याओं को हल करने के लिए कोई अन्य चैनल/प्रणाली प्रदान करना होगा।
 35. चयनित निविदादाता को वर्क ऑर्डर में आवंटित कार्यावधि के लिए जमानत की राशि के रूप में सभा सचिवालय के रोकड़ शाखा से सम्पर्क कर वांछित राशि जमा करना होगा तथा बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप अंके 1000/ रू० (एक हजार रुपये) के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र (नॉन ज्यूडिसियल स्टांप पेपर) पर सभा सचिवालय के साथ एकरारनामा करना होगा।
 36. निविदादाता का पटना में विगत 03 वर्षों से कार्यालय हो या उनके प्रतिनिधि उपलब्ध रहें ताकि किसी प्रकार के उपकरण की आकस्मिक कमी या कोई व्यावधान के दृ

ष्टिगोचर होते ही उसका ससमय निदान कर सके। एतद् संबंधी दस्तावेज रेंट एग्रीमेंट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

37. कार्य की प्रकृति एवं स्वरूप की विस्तृत जानकारी के लिए स्थल का निरीक्षण अथवा निविदा के अन्य शर्तों के संबंध में सभा सचिवालय के जनसंपर्क शाखा से किसी कार्यावधि में संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
38. निविदादाता को निविदा की सभी शर्तों से पूर्णरूपेण सहमति से संबंधित प्रमाण पत्र अपने हस्ताक्षर, फर्म के मुहर, स्थान एवं दिनांक सहित तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
39. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा बिना कारण बताये किसी निविदा को रद्द/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा।
40. सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
41. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि निविदाकार को उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं।

पूनम सिन्हा
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।

अनुलग्नक -1
FINANCIAL BID

Sl. No.	Particular (Live Telecast During Session)	Total Amout (INR)
1.	Rate Per Day	
	Total	

अनुलग्नक-II

TECHNICAL REQUIREMENTS

Sl. No.	Requirements	
1.	Storage Capacity (GB/TB) in Machine and cloud	
2.	Recording (Camera with HD/4K or Pixel capacity)	
3.	Licensed Version of appropriate software's name for mixing and editing	
4.	Ability to make Graphics	
5.	Ability to make Short Films (Name the Films)	
6.	Adequate Capacity and Skills of Camera Person	
7.	Switcher capacity 8-12 inputs	
8.	Live input capacity to 100 channels	
9.	Sign Language Interpreter AI Anchor and Reel-time translation scripting during assembly hours.	
10.	Ability to create Bihar vidhansabha chairperson's Live whenever required.	

अनुलग्नक-III

GENERAL REQUIREMENTS

Sl. No.	Requirements	
1.	Registered under the Companies Act 1956 or Registered Society under the Societies registration act or Proprietorship firm or partnership firm or LLP in India or authorised under govt/dept of Bihar.	
2.	Bank Account in the name of the company.	
3.	GST No.	
4.	Registered under EPF & ESIA.	
5.	PAN No.	
6.	Annual turnover of 40 Lakh (For 3 years) /Cumulative turnover of 1.2 crores of last 3 years	
7.	Ten Years experience of working under parliament/ LA/ PSU/ Autonomous body/ Large corporate/ others	
8.	Not blacklisted and affidavit regarding this.	
9.	Address proof / Rent agreement of office in Patna (Last 3 years)	

*Supportive documents must be attached with all the required fields in Annexure III.

अनुलग्नक-IV
बोलीदाता द्वारा वचन

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने निविदा के निर्देशों, पूर्व-योग्यता मानदंड विशिष्टता के साथ आपूर्ति का दायरा, मूल्यांकन मानदंड और मूल्य समझौते के नियम और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इन शर्तों का पालन करूँगा ।

(बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मुहर सहित)